

उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश  
(वित्तीय सहायता कक्ष)

क्रमांक 36/विसहा/(2)/2017/ 467-527 भोपाल, दिनांक 28.04.2018

प्रति,

1. परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी,  
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,  
समस्त (म. प्र.)
2. महाप्रबंधक,  
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,  
समस्त (म. प्र.)


**विषय :-** सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित औद्योगिक इकाईयों को म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 अंतर्गत सहायता हेतु पात्रता के संबंध में।

**संदर्भ :-** प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग की एकल नस्ति क्रमांक 6029, दिनांक 25.04.2018

४४४४

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित एकल नस्ति द्वारा अवगत कराया गया है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित इकाईयों को जिला कार्यालयों द्वारा म. प्र. एमएसएमई योजना 2017 अंतर्गत सहायता प्रदान करने के संबंध में असहमति व्यक्त की जा रही है। उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि म. प्र. सहकारिता अधिनियम 1960 अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्था द्वारा संचालित विनिर्माण श्रेणी की एमएसएमई (जिसमें राज्य शासन की किसी अन्य नीति अंतर्गत अनुदान प्राप्त नहीं हुआ हो) म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन कर सकती है। ऐसी इकाई को अन्य इकाईयों के समान सहायता प्राप्त करने हेतु म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 की समस्त शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य है।

उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
सहायक संचालक, उद्योग  
उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक 36/विसहा/(2)/2017/

भोपाल, दिनांक 28.04.2018

प्रतिलिपि :-

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, म. प्र.।

सहायक संचालक, उद्योग  
उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश